प्रेस विज्ञप्ति

15.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत मैसर्स किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे संबंधित व्यक्तियों/इकाइयों से जुड़े हैदराबाद एवं इसके आसपास सात स्थानों पर 13.02.2024 को तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने इस जानकारी के आधार पर जांच शुरू की कि मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद जुबैरुद्दीन के प्रतिनिधित्व वाली मैसर्स किंग्स ग्रुप की कंपनियों ने अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ मिलकर फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित विभिन्न विदेशी निवेश किए हैं। आसूचना ने हवाला नेटवर्क के जरिए अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय में भी उनकी संलिप्तता का संकेत दिया है।

ईडी की ji भीतलाशी में डिजिटल उपकरण, 76.5 लाख रुपए की बेलेखा नकदी, लगभग 1.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश, विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध और विदेशी बैंक खातों के साक्ष्य वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

कई करोड़ रुपए के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला और बेनामी संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।